C.M. 854/2025 महिपाल v/s राजेन्द्र

24.9.25 पीठासीन अधिकारी आज ... पर/अन्य क ... व्यस्त होने से पत्रावली आईन्दा सुनवाई हेतु पूर्व अनुसार दिनांक 8.9.25 को पेश हो।

आज्ञा से

रीडर
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

8.9.25 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी के अधिवक्ता आज उपस्थित नहीं है। प्र. अधिवक्ता उपस्थित है। अपीलार्थी अधिवक्ता को सुनवाई हेतु न्यायालय में उपस्थित होने हेतु तीन बार आवाज लगवाई गई परन्तु न तो अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित हुए है एवं न ही अपीलार्थी उपस्थित है। अपील लम्बे समय से विचाराधीन चल रही है। अपीलार्थी के अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने से अपील को और विचाराधीन रखना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलार्थी की अपील को अधिवक्ता अपीलार्थी की अनुपस्थिति में अपना हर्जा/अपना पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद निस्तारण दर्ज रजिस्टर नम्बर से कायम की जावें। अपीलीय न्यायालय का मूल रिकार्ड लौटाया जावें।

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर